

**कार्यालय : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ ।**

विज्ञप्ति

प्रदेश की वे निजी संस्थायें जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी०/एन०टी०टी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान की गयी है तथा जो निर्दिष्ट शासकीय संस्था से संबद्धता हेतु इच्छुक हैं, वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ की वेबसाइट www.scertup.org से विवरणिका सहित आवेदन पत्र डाउनलोड कर एवं आवेदन पत्र पूर्ण कर आवश्यक अभिलेखों सहित संबंधित जिले के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को तीन प्रतियों में दिनांक 31.08.2010 तक उपलब्ध करायें। आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रु० 50,000 /- (पचास हजार मात्र) तथा आवेदन शुल्क रु० 1,000 /- (एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक होना चाहिए जो प्रशासनिक अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ के नाम से देय होगा। संस्थाओं को संबद्धता देने के पूर्व एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संस्था में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का निरीक्षण कराया जाना भी प्रस्तावित है। किसी अतिरिक्त जानकारी हेतु परिषद के दूरभाष नं०- 0522-2780505, 2780385 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा जिज्ञासा dscertup@gmail.com पर प्रेषित की जा सकती है।

निदेशक